न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा
पीठासीन अधिकारी :– अमिता बिश्नोई आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 190 / 2024
बेअन्त सिंह पुत्र बलराज सिंह जाति जटसिख साकिन 16 पीबीएन तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।

प्रार्थी

बनाम

1. गुरमोहन सिंह } पिसरान गमदूर सिंह जाति जटसिख साकिन 16 पीबीएन
2. बलराज सिंह } तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान ।
3. सुखदेव कौर पत्नी गुरमोहन सिंह जाति जटसिख साकिन 16 पीबीएन तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
4. अशोक कुमार पुत्र परसराम जाति अरोड़ा साकिन वार्ड नं. 7 पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
5. परमजीत कौर पत्नी भूपेन्द्र सिंह जाति जटसिख साकिन 16 पीबीएन तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
6. भूपेन्द्र सिंह पुत्र सरदूल सिंह जाति जटसिख साकिन 16 पीबीएन तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
7. मनप्रीत कौर पत्नी मोहन सिंह जाति जटसिख साकिन 16 पीबीएन तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
8. गुरमीत सिंह पुत्र जोगेन्द्र सिंह जाति जटसिख साकिन 16 पीबीएन तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान ।
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा ।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–क राजस्व काश्तकारी अधिनियम

–:: उपस्थित अभिभाषकगण ::–

1. श्री हरजिन्द्र सिंह रमाणा	प्रार्थी
2. श्री नवीन जैन	अप्रार्थी संख्या 1 ता 8
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पीलीबंगा	अप्रार्थी संख्या 9

–:: निर्णय ::–

दिनांक :– 21/04/2025

प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण की ओर से **अन्तर्गत धारा 251–क राजस्व काश्तकारी अधिनियम** अप्रार्थीगण के विरूद्ध अधिवक्ता श्री हरजिन्द्र सिंह रमाणा के द्वारा प्रस्तुत किया गया है प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण की पंजीकृत पता वहीं है जो उक्त प्रार्थना पत्र के शीर्षक में अंकित है।

यह कि प्रार्थी के नाम सांझा खाते में कृषि भूमि तहसील पीलीबंगा के चक 16 पीबीएन के खाता सं. 241/28 के प.नं. 17/306 (29) किला नं. 3, 4, 7, 8, 13, 14, 17, 24 कुल 024 हैक. नहरी खातेदारी में 3/16 हिस्सा वर्ज राजस्व रिकार्ड वाके है। प्रमाणित जमाबंदी सलग्न प्रार्थना पत्र है।

यह कि अप्रार्थी सं. 7 के **नाम कृषि भूमि तहसील पीलीबंगा के चक 16 पीबीएन के** खाता सं. 133/21 के प.नं. **17/306 (29) किला नं. 2, प.नं. 21/309 (52) किला नं.**

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

Signature Not Verified
Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2025.05.02 17:32:16 IST
Reason: SelfAttested

16/1, 16/2, 17 ता 20 की 1.518 हैक. नहरी मय गैर मुमकिन खाला खातेदारी दर्ज राजस्व रिकार्ड वाके है। प्रमाणित प्रति जमाबंदी सलग्न प्रार्थना पत्र है।

यह कि अप्रार्थी सं. 1 ता 6 के नाम कृषि भूमि तहसील पीलीबंगा के चक 16 पीबीएन के खाता सं. 118/80 के प.नं. 17/305 (18) किला नं. 1/1, 1/2, 1/3, 2/1, 2/2, 3/1, 3/2, 4/1, 4/2, 5/1, 5/2, 69, 10/1, 10/2, 11/1, 11/2, 12 19, 20/1, 20/2, 21/1, 21/2, 22 ता 25 की 6.325 हैक. नहरी मय खाला रास्ता खातेदारी मुताबिक हिस्सा दर्ज राजस्व रिकार्ड वाके है। प्रमाणित प्रति जमाबंदी सलग्न प्रार्थना पत्र है।

यह कि अप्रार्थी सं. 8 के नाम कृषि भूमि तहसील पीलीबंगा के चक 16 पीबीएन के खाता सं. 44/36 के प.नं. 16/305 (17) किला नं. 4/5 ता 16, 25, प.नं. 20/310 (58) किला नं. 7 ता 10, 14, 15/1, 15/2 की 4.933 हैक. नहरी मय गैर मुमकिन खाला रास्ता खातेदारी दर्ज राजस्व रिकार्ड वाके है। प्रमाणित प्रति जमाबंदी सलग्न प्रार्थना पत्र है। यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 2 में वर्णित कृषि भूमि में आने जाने के लिये कोई स्वीकृतशुदा रास्ता नही है। प्रार्थी अपनी कृषि भूमि में आने जाने के लिये अप्रार्थीगण के नाम दर्ज उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि में से तहसील पीलीबंगा के चक 16 पीबीएन के प.नं. 17/305 किला नं. 21/1/.010, 221.003 कटाऊ पूर्व से पश्चिम लम्बा पश्चिम दिशा में, प.नं. 17/306 किला नं. 21.010 पूर्व से पश्चिम लम्बा दक्षिण दिशा में, प.नं. 16/305 किला नं. 5 में 0.003 कटाऊ दक्षिण पूर्वी दिशा रास्ता के लगती से होते हुए अपनी कृषि भूमि में प्रवेश करता है। उक्त रास्ता मौका पर चालू है। उक्त रास्ता से ही प्रार्थी अपनी कृषि भूमि में आना जाना करता है व कृषि औजार लाता व ले जाता है। उक्त रास्ता के अलावा प्रार्थी के पास अन्य कोई निकटतम व सुविधाजनक रास्ता नही है। इसलिये प्रार्थी अप्रार्थीगण के नाम दर्ज उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि में से तहसील पीलीबंगा के चक 16 पीबीएन के प.नं. 17/305 किला नं. 21/1/010, 22/.003 कटाऊ पूर्व से पश्चिम लम्बा पश्चिम दिशा में, प.नं. 17/306 किला नं. 21.010 पूर्व से पश्चिम लम्बा दक्षिण दिशा में, प.नं. 16/305 किला नं. 5 में 0.003 कटाऊ दक्षिण पूर्वी रास्ता के लगते रास्ता स्वीकृत करवाने का हकदार है। रास्ता में आई कृषि भूमि की में प्रार्थी उतनी कृषि भूमि की डीएलसी दर से दौगुना राशि अथवा उतनी भूमि अप्रार्थीगण को देने के लिये तैयार व तत्पर है।

यह कि अप्रार्थी सं. 9 जो कि भू धारक है इसलिये उसे आवश्यक पक्षकार बनाया है। यह कि प्रार्थना पत्र श्रीमान् न्यायालय के क्षेत्राधिकार एंव श्रवणाधिकार का है जो उचित कोर्ट फीस पर तहरीर एवं अन्दर मियाद है।

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि अप्रार्थीगण सं. 1 ता 6 के नाम दर्ज उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि में से तहसील पीलीबंगा के चक 16 पीबीएन के प.नं. 17/305 किला नं. 21/1/.010, 22/.003 कटाऊ पूर्व से पश्चिम लम्बा पश्चिम दिशा में, अप्रार्थी सं. 7 की भूमि में से प.नं. 17/306 किला नं. 21.010 पूर्व से पश्चिम लम्बा दक्षिण दिशा में, अप्रार्थी सं.8 की भूमि में से प. नं. 16/305 किला नं. 5 में 0.003 कटाऊ दक्षिण पूर्वी रास्ता के लगती रास्ता को स्वीकृत कर राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावे।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री नवीन जैन द्वारा वकालतनामा प्रस्तुत किया गया शामिल पत्रावली है। दिनांक 03.02.25 को प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण स्वयम् हाजिर आये तहरीर शुदा राजीनामा प्रस्तुत किया गया। [illegible] उभय पक्ष को पढकर सुनाया गया सुनकर व समझ कर उभय पक्ष द्वारा राजीनामा [illegible] किया गया उभय पक्ष द्वारा मुताबिक राजीनामा प्रार्थना पत्र [illegible] गया। राजीनामा पर उभय पक्ष द्वारा हस्ताक्षर किये गए। अधिवक्ता प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण द्वारा पहचान किये जाने पर बाद तस्दीक शामिल पत्रावली किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2025.05.02 17:32:16 IST
Reason: SelfAttested

राजीनामा पक्षकारान निम्न प्रकार से है —यह कि प्रार्थी प्रथम पक्ष के नाम सांझा खाता में कृषि भूमि तहसील पीलीबंगा के चक 16 पीबीएन के खाता सं. 241/28 के प.नं. 17/306 (29)

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

किला नं. 3, 4, 7, 8, 13, 14, 17, 24 की 2.024 हैक. नहरी खातेदारी में 3/16 हिस्सा दर्ज राजस्व रिकार्ड वाके है। यह कि अप्रार्थी द्वितीय पक्ष सं. 7 के नाम कृषि भूमि तहसील पीलीबंगा के चक 16 पीबीएन के खाता सं. 133/21 के प.नं. 17/306 (29) किला नं. 2, प.नं. 21/309 (52) किला नं. 16/1, 16/2, 17 ता 20 की 1.518 हैक. नहरी मय गैर मुमकिन खाला खातेदारी दर्ज राजस्व रिकार्ड वाके है।

यह कि अप्रार्थी द्वितीय पक्ष सं. 1 ता 5 के नाम कृषि भूमि तहसील पीलीबंगा के चक 16 पीबीएन के खाता सं. 118/80 के प.नं. 17/305 (18) किला नं. 1/1, 1/2, 1/3, 2/1, 2/2, 3/1, 3/2, 4/1, 4/2, 5/1, 5/2, 69, 10/1, 10/2, 11/1, 11/2, 12 19, 2011, 2012, 21/1, 21/2, 22 ता 25 की 6.325 हैक. नहरी मय खाला रास्ता खातेदारी मुताबिक हिस्सा दर्ज राजस्व रिकार्ड वाके है।

यह कि अप्रार्थी द्वितीय पक्ष सं. 8 के नाम कृषि भूमि तहसील पीलीबंगा के चक 16 पीबीएन के खाता सं. 44/36 के प.नं. 16/305 (17) किला नं. 4/5 ता 16, 25, प.नं. 20/310 (58) किला नं. 7 ता 10, 14, 15/1, 15/2 की 4.933 हैक. नहरी मय गैर मुमकिन खाला रास्ता खातेदारी दर्ज राजस्व रिकार्ड वाके है।

यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 2 में वर्णित कृषि भूमि में आने जाने के लिये कोई स्वीकृतशुदा रास्ता नही है। प्रार्थी अपनी कृषि भूमि में आने जाने के लिये अप्रार्थीगण के नाम दर्ज उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि में से तहसील पीलीबंगा के चक 16 पीबीएन के प.नं. 17/305 किला नं. 21/1/.013, 22/.003 कटाऊ पूर्व से पश्चिम लम्बा पश्चिम दिशा में, प.नं. 17/306 किला नं. 2/.013 पूर्व से पश्चिम लम्बा दक्षिण दिशा में, प.नं. 16/305 किला नं. 5 में 0.003 कटाऊ दक्षिण पूर्वी दिशा रास्ता के लगती से होते हुए अपनी कृषि भूमि में प्रवेश करता है। उक्त रास्ता मौका पर चालू है। उक्त रास्ता से ही प्रार्थी अपनी कृषि भूमि में आना जाना करता है व कृषि औजार लाता व ले जाता है। उक्त रास्ता के अलावा प्रार्थी के पास अन्य कोई निकटतम व सुविधाजनक रास्ता नही है। इसलिये प्रार्थी अप्रार्थीगण के नाम दर्ज उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि में से तहसील पीलीबंगा के चक 16 पीबीएन के प.नं. 17/305 किला नं. 21/1/.013, 221.003 कटाऊ पूर्व से पश्चिम लम्बा पश्चिम दिशा में, प.नं. 17/306 किला नं. 21.013 पूर्व से पश्चिम लम्बा दक्षिण दिशा में, प.नं. 16/305 किला नं. 5 में 0.003 कटाऊ दक्षिण पूर्वी रास्ता के लगते रास्ता स्वीकृत करवाने का हकदार है। यदि प्रार्थी प्रथम पक्ष द्वारा चाहे गये रास्ता को स्वीकृत किया जाता है तो मिन अप्रार्थीगण द्वितीय पक्ष को कोई आपति व एतराज नही है। अप्रार्थीगण ने रास्ता की भूमि की एवज में डीएलसी दर की दौगुना राशि प्रार्थी प्रथम पक्ष से प्राप्त कर ली है व राजस्व रिकार्ड में अप्रार्थी सं. 1 ता 3 व 4, 6, 7 के हिस्सा में से भूमि कम की जावे।

अतः राजीनामा प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी प्रथम पक्ष का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर मुताबिक राजीनामा रास्ता स्वीकृत किया जावे तो अप्रार्थीगण द्वितीय पक्ष को कोई आपति व एतराज नही होगा।

तहसीलदार पीलीबंगा से प्रकरण में तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त की गई। मुताबिक रिपोर्ट प्रार्थी द्वारा रास्ता प.नं. 17/307 (18) कि.नं. 21 में तथा कि.नं. 22 में द0प0 कोना तथा प.नं. 17/306 (29) के कि.नं. 2 में उत्तरी दिशा में 16/305 (17) कि.नं. 5 के उत्तरी पूर्वी कोने में चाहा गया है जो कि मौके पर वर्तमान में चालू नहीं है। अप्रार्थीगण द्वारा बताया गया मौके पर खड़ी फसल की कटाई के बाद उक्त रास्ते को सुचारू [illegible] चालू कर दिया जाएगा। प्रार्थी के द्वारा चाहे गये रास्ते में आने वाली भूमि से सम्बन्धित [illegible] के समस्त काश्तकारान को पक्षकार बनाया गया है। प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ते के [illegible] भूमि की पूर्व में कोई स्वीकृतशुदा रास्ता नहीं लगता है। प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ते के अलावा कम दूरी का अन्य कोई रास्ता नहीं लगता है। प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता मौके पर चालू नहीं है। बहस उभय पक्ष सुनी गई। बहस में अधिवक्ता प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के द्वारा निवेदन किया गया कि राजीनामा अनुसार रास्ता स्वीकृत किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2025.05.02 17:32:16 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

आदेश

बहस उभय पक्ष सुनी गई। बहस पर मनन व बाद पत्रावली अवलोकन तहसीलदार पीलीबंगा रिपोर्ट एवं उभय पक्ष द्वारा प्रस्तुत राजीनामा के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251–क के तहत प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आदेश पारित किया जाता है कि– चक 16 पीबीएन के अप्रार्थी संख्या 1 ता 6 के नाम दर्ज रिकार्ड प.नं. 17/305 किला नं. 21/1/.010, 22/.003 कुटाऊ पूर्व से पश्चिम लम्बा पश्चिम दिशा में, अप्रार्थी संख्या 7 के नाम प.नं. 17/306 किला नं. 2/.010 पूर्व से पश्चिम लम्बा दक्षिण दिशा में, अप्रार्थी संख्या 8 के नाम प.नं. 16/305 किला नं. 5 में 0.003 कुटाऊ दक्षिण पूर्वी रास्ता के लगते रास्ता को राजीनामा अनुसार बिना किसी प्रतिकर के स्वीकृत किया जाता है। आदेशों की पालना में तहसीलदार पीलीबंगा उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करे।

पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो। आदेश को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में दिनांक 21/04/25 सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2025.05.02 17:32:16 IST
Reason: SelfAttested

(अमिता बिश्नोई आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलेक्टर
पीलीबंगा

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा